उत्तर प्रदेश शासन
पर्यटन अनुभाग
संख्या-74/2016/1074/41-2016-88 यो0/15
लखनऊ दिनांक 17 जून, 2016

शासनादेश संख्या- 67/2016/911(2)/41-15-88 यो0/2015, दिनांक 09 जून, 2015
<u>का शुद्धि-पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य सेक्टर के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में तहसील जमानियॉं के ग्राम देवल में बाबा कीनाराम घाट के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि रू0 135.86 लाख (रू0 एक करोड पैंतीस लाख छियासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-67/2016/911(2)/41-15-88 यो0/2015, दिनांक 09 जून, 2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2- उक्त शासनादेश में त्रुटिवश दिनांक 09 जून, 2016 के स्थान पर दिनांक 09 जून, 2015 अंकित हो गया है। अत: सन्दर्भित शासनादेश में दिनांक 09 जून, 2015 के स्थान पर दिनांक 09 जून, 2016 पढा जाय।

सम्बन्धित शासनादेश में अंकित अन्य शर्ते व उपबन्ध यथावत रहेंगे।

उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

शिव कुमार पाठक
उप सचिव।

<u>संख्या-**74/2016/1074(1)/41-2016 तद् दिनांक**।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त, वाराणसी/ जिलाधिकारी, गाजीपुर।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड वाराणसी।
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, वाराणसी।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in